

**छत्तीसगढ़ सूचना आयोग**  
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 143 / 2006

श्री नितिन सिंघवी,  
एम.आई.जी. 59,  
सेक्टर-1, शंकरनगर,  
रायपुर (छत्तीसगढ़)

.....

अपीलार्थी

विरुद्ध

जन सूचना अधिकारी,  
मुख्य अभियंता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु निर्माण  
संभाग, लोक निर्माण विभाग, रायपुर  
(छत्तीसगढ़)

.....

प्रतिअपीलार्थी

**:: आदेश ::**

( दिनांक 14 सितम्बर 2006 )

अपीलार्थी श्री नितिन सिंघवी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 05-04-2006 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा आवेदन दिनांक 10-1-2006 के द्वारा 6 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी, जिसमें कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा लिखित नोटशीट दिनांक 9-8-2005 में पैरा क्रमांक-8 एवं आई.आर.सी. 53 के संबंध में उल्लेख किया गया था कि चूना पत्थर अधिक तापमान पर डी-कम्पोज हो जाता है, इस कारण सी.आर.एम.बी. का उपयोग करना उचित नहीं होगा। अपीलार्थी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये तकनीकी परीक्षण जिसमें कि चूना पत्थर अधिक तापमान पर राख हो जाता है के संबंध में परीक्षण की प्रति एवं 60/70 ग्रेड व सी.आर.एम.बी. के उपयोग के मापदण्डों की प्रति चाही। दिनांक 14-2-2006 को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु परिक्षेत्र के सूचना अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि जानकारी प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर से संबंधित है तथा सी.आर.एम.बी. का उपयोग करने से संबंधित मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग के पत्र दिनांक 11-8-2005 की प्रति अपीलार्थी को दी गई। अपीलार्थी ने प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 5-4-2006 में उल्लेख किया कि जन सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु निर्माण संभाग के द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में उपस्थित होकर नोटशीट तैयार की गई थी। अतः इसी आधार पर अपीलार्थी को सूचित किया गया था। अतः अपीलार्थी की

अपील अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार की, जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

**3/** आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी की ओर से श्री के.के.पिपरी, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। उन्होंने बतलाया कि अपीलार्थी को दिनांक 29-8-2006 को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया तथा उनके तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि सी.आर.एम.बी. का उपयोग न करने के संबंध में जिन तथ्यों का उल्लेख मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु निर्माण संभाग तथा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के द्वारा नोटशीट में किया गया था तथा जिस पर प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के द्वारा टीप दी गई। वह बिना किसी आधार के है, उसमें उल्लेख किये गये तथ्य का कोई आधार नोटशीट में नहीं बतलाया गया है और न ही अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध ही कराया गया है। प्रतिअपीलार्थी का यह कथन है कि उसकी नोटशीट में मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मुख्य अभियंता, योजना के द्वारा सी.आर.एम.बी. के उपयोग के संबंध में सम्मिलित रूप से टीप दी गई थी तथा टीप प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत की गई थी। अतः इसी आधार पर अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय से संबंधित है। दिनांक 30-8-2006 को अनावेदक के द्वारा जवाब दिया गया कि अपीलार्थी को दिनांक 29-8-2006 को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी के द्वारा यह बतलाया गया कि जानकारी विलंब से मिली है अतः अर्थदण्ड किया जावे। अपीलार्थी की आपत्ति है कि जन सूचना अधिकारी ने बिन्दु क्रमांक-3 के संबंध में यह उल्लेख किया है कि जानकारी कार्यालयीन दस्तावेज में उपलब्ध नहीं है हो सकता है कि यह जानकारी मुख्य अभियंता (से0नि0) राष्ट्रीय राजमार्ग के पास रही हो, अतः यह जानकारी उनसे प्राप्त की जावे। उन्होंने यह भी बतलाया कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी पूर्व पदस्थ प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जावे। अपीलार्थी ने यह माना कि इस प्रकार से लिखी गई नोटशीट असत्य तथ्यों पर आधारित है। जन सूचना अधिकारी के उक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि कार्यालय में नोटशीट लिखने का प्रमाणिक आधार उपलब्ध नहीं था इसी कारण अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से बतलाया गया कि जानकारी कार्यालयीन दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। जहां तक श्री एस.एन.जस्ती, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता का संबंध है, उनसे नोटशीट से संबंधित कोई भी जानकारी नियमानुसार प्राप्त नहीं की जा सकती।

**4/** चूंकि आयोग के द्वारा पूर्व में अपीलार्थी की एक अपील प्रकरण क्रमांक 203/2006 एवं 207/2006 में यह आदेश दिया गया है कि प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग तथ्यों की जाँच करे तथा नोटशीट पर लिखे गये आधार के संबंध में निर्णय ले। यह प्रकरण भी इसी सी.आर.एम.बी. के उपयोग के संबंध में है। अतः उक्त दोनों प्रकरणों में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिये गये निर्देश इस प्रकरण में भी प्रभावशील होंगे।

**5/** प्रकरण में आये तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जो जानकारी कार्यालय में उपलब्ध थी वह अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा

जानबूझकर अथवा दुर्भावनावश जानकारी नहीं दिये जाने का प्रमाण नहीं है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में ही टीप तैयार की गई, अतः भ्रमवश उक्त जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय से ही संबंधित होना बतलाया गया। इसका उद्देश्य द्वेषवश अथवा जानकारी नहीं दिये जाने का नहीं था। चूंकि जानकारी द्वेषवश अथवा दुर्भावना से विलम्ब से दिया जाना तथ्यों के आधार पर सिद्ध नहीं होता है अतः अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

**6/** उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार कर उपरोक्त निर्देशों के सहित अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

( ए. के. विजयवर्गीय )  
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त